निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 197 / 2020 तारीख दायरा 13.10.2020

उनवान

1. महावीर नागर उम्र 33 वर्ष पुत्र किशन गोपाल।
2. बिन्टेश नागर उम्र 27 वर्ष पुत्र किशन गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी

बनाम

1. किशनगोपाल पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनॉक :— 18.02.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:24 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण प्रतिवादी नं0 1 किशनगोपाल जी के पुत्र हैं तथा आपस में पिता पुत्र का रिश्ता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 किशनगोपाल जी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं0 602 की 2.06 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी नं0 1 को वादीगण के दादाजी स्व0 रामचरण जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो कि वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वाद पत्र में वर्णित आराजी जो कि वादीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाइ बर्थराइट हक व हिस्सा निहित है तथा वादीगण का प्रत्येक का प्रतिवादी नं0 1 के साथ उसके 1/2 हिस्से में बांट बराबर से अर्थात 1/3–1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में 1/6–1/6 हिस्सा बनता है।

वादीगण उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हिस्से अनुसार मौके पर आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को अपने पुश्तैनी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व मुआवजा आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से अपने पुश्तैनी हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार आराजी का बंटवारा करने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा अपनी असमर्थता जाहिर की तथा प्रतिवादी नं. 1 से भी तहसील कार्यालय में चलकर पुश्तैनी हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कोई सहयोग नहीं किया और टालमटोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं. नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं0 602 की 2.06 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा व मालग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 429 पुरानी 410 के खसरा नं0 1322 की 1.17 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का प्रतिवादी नं0 1 के साथ बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नाथूलाल नागर द्वारा इकबाली जवाब दावा

दिया गया, प्रतिवादी सं.4 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा वादी के हक में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं. नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं0 602 की 2.06 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा व मालग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 429 पुरानी 410 के खसरा नं0 1322 की 1.17 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के साथ बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा यानी सम्पूर्ण आराजी में 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:24:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद